राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन (ग्रुप–2) विभाग

क्रमांकः एफ.2(1)साप्र/2/2011 जयपुर, दिनांक 19.4.2011

–: आदेश :–

निम्नांकित अधिकारियों को उनकी द्वितीय श्रेणी वरियतानुसार/नीतिगत निर्णय के अनुसार उनके नाम के सम्मुख अंकित राजकीय आवास उनके निवास हेतु नियमानुसार किराये पर निम्नलिखित शर्तो के आधार पर एतद्द्वारा आवंटित किये जाते हैं :–

क्र. सं.	वरियता संख्या	नाम व पद	आवंटित आवास संख्या	सेवानिवृति दिनांक
1.	32/2010	श्री शिवकुमार सोनी अधीक्षण अभियन्ता, कार्यालय मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन विभाग, जयपुर	एन–9 गांधीनगर	30.6.2014
2.	4/2011	श्री रुपाराम चौधरी महाप्रबन्धक, राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम, जयपुर	701 सप्तम तल मॉडल टाउन मालवीयनगर	30.6.2016
3.	21/2011	श्री नरेन्द्र कुमार कोठारी खनि अभियन्ता, याचिकाएं कार्यालय खनि अभियन्ता रिट्स खान एवं भूविज्ञान विभाग, जयपुर	702 सप्तम तल मॉडल टाउन मालवीयनगर	30.9.2022

शर्तेः–

1.आवास का कब्जा आवंटन होने की तिथि से 8 दिवस में लिया जायेगा। इस अवधि में कब्जा न लेने पर आवंटन आदेश स्वतः निरस्त समझा जावेगा।

2.उक्त आवास का किराया राजस्थान सिविल सेवा निवास स्थान के किराये का अवधारण और वसूली नियम, 1958 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों के अनुसार वसूल होगा।

3.सेवानिवृति दिनांक से दो माह पश्चात आवास रिक्त करना होगा।

4.जयपुर से बाहर स्थानान्तरण हो जाने पर इस विभाग को सूचित करना होगा तथा कार्यमुक्त होने की तिथि से एक माह पश्चात आवास रिक्त करना होगा।

5.स्वयं तथा पत्नी/बच्चों के नाम से पदस्थापन स्थान पर निजी आवास बन जाने की स्थिति में इस विभाग को सूचित करना होगा।

6.चूंकि उक्त अधिकारी को राजकीय आवास का आवंटन किया जा चुका है। अतः राजकीय आवास आवंटन नियम, 1958 के नियम 11(III)ए के अनुसरण में आदेश प्रसारित होने के आवास आवंटन की तिथि से 8 दिवस में अथवा आवंटन स्वीकार करने में असफल रहने की तारीख से 6 माह की कालावधि तक अगले आवंटन तक के लिए पात्र नहीं रहेगा। 6 माह की समाप्ति पश्चात उसे प्रतीक्षा सूची में अपनी मूल स्थिति में पुनः लाया जा सकेगा। उसका मकान किराया भत्ता यदि उस क्षैत्र में अनुज्ञेय हो तो रोक दिया जायेगा।

7.राम्बन्धित विभागाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी कृपया आवंटी के द्वारा आवास का कब्जा आवंटन होने की तिथि से 8 दिवस में लिया जायेगा। अन्यथा निर्धारित अवधि उपरान्त आवंटी अधिकारी का मकान किराया भत्ता बन्द करने के आदेश प्रसारित कर प्रति इस विभाग को भिजवाने का श्रम करावें।

8.आवंटी को आवंटित राजकीय आवास संख्या का कब्जा लेने से पूर्व संबंधित अधिशाषी अभियन्ता/आवासीय अभियन्ता को यह धोषणा करनी होगीः–

1. आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात् आवंटित राजकीय आवास के कब्ज लेने तक की अवधि में आवंटी निरन्तर जयपुर में ही पदस्थापित रहे है।
2. आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि से आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी के द्वारा कोई स्वंय/पत्नि व उन पर आश्रित किसी अन्य सदस्य के नाम से जयपुर में निजी आवास निर्मित नहीं किया गया है।

9. कम सं0 2 पर श्री रुपाराम चौधरी तथा कम सं0 3 पर श्री नरेन्द्र कुमार कोठारी से "कॉमन सुविधा" शुल्क राशि रुपये 300/– (अक्षरे तीन सौ रुपये मात्र) प्रतिमाह सीधे इनके वेतन से काटे जाकर राजकोष में जमा करायेगें।

10.उपरोक्त के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी अन्य शर्ते भी मान्य होगी।

आज्ञा से,

(मनफूल बैरवा)
शासन सहायक सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. सम्भागीय आयुक्त, जयपुर।
2. जिला कलक्टर, जयपुर।
3. निदेशक, सम्पदा विभाग, मिनी सचिवालय, जयपुर।
4. मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन विभाग, जयपुर।

6. निदेशक, तकनीकी राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम, जयपुर।
7. खनि अभियन्ता, रिट्स, खान एवं भूविज्ञान विभाग, जयपुर।
8. कोषाधिकारी, जयपुर शहर, जयपुर।
9. अधिशाषी अभियन्ता, सा0नि0वि0/जन स्वा0 अभि0 वि0/जयपुर वि0वि0निगम लि0, गांधीनगर/मालवीयनगर, जयपुर।
10. संबंधित विभागाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी को भेजकर लेख है कि आवंटित आवास का नियमानुसार किराया कटौती की कार्यवाही को सुनिश्चित करायें साथ ही आवंटी द्वारा निर्धारित अवधि में कब्जा लेने में असफल रहने की स्थिति में आवंटन आदेश की शर्त संख्या–6 की पालना को भी अमल में लावें।
11. प्रबन्ध निदेशक, राजकॉम, प्रथम तल योजना भवन, जयपुर – कृपया उक्त आदेश को सामान्य प्रशासन विभाग की वेबसाईट पर अपडेट कराने का श्रम करावें।
12. श्री शिवकुमार सोनी, अधीक्षण अभियन्ता, कार्यालय मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन विभाग, जयपुर।
13. श्री रुपाराम चौधरी, महाप्रबन्धक, राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम, जयपुर।
14. श्री नरेश कुमार कोठारी, खनि अभियन्ता, याचिकाएं कार्यालय खनि अभियन्ता रिट्स खान एवं भूविज्ञान विभाग, जयपुर।
15. निदेशक, उद्यान विज्ञ, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर।
16. सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, चौकी, गांधीनगर/मालवीयनगर, जयपुर को भेजकर लेख है कि कृपया आदेश की शर्तें संख्या–8 की पालना को सुनिश्चित कर कब्जा देवें।
17. शासन सहायक सचिव, सामान्य प्रशासन (ग्रुप–5) विभाग।
18. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, साप्रवि।
19. रक्षित पत्रावली।

शासन सहायक सचिव